

Correct OBC Certificate

ई-डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जारी ...



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र.
प्रमाण पत्र क्र.

जारी दिनांक: 19/01/2022

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी

ग्राम
तहसील
जिला

उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है की अतुल राज सिंह पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



डिजिटल लॉकर सेवा
द्वारा
डाउनलोडेड

NUPUR
SINGH

Digitally Signed
by
NUPUR SINGH
O=BOARD OF
REVENUE,
OU=REVENUE
DEPARTMENT,
C=IN,CN=NUPUR
SINGH,S=UTTAR
PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित
मरिहान मिर्जापुर
दिनांक: 19/01/2022

स्वहस्ताक्षर

यह प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित मूल प्रमाण पत्र के आधार पर डिजिटल लॉकर सेवा के माध्यम से आवेदन द्वारा डाउनलोड किया गया है,वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र. फिर प्रमाण पत्र क्र. अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

ई-डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जारी..



Not Valid OBC
Certificate

उत्तर प्रदेश शासन

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

जारी दिनांक: 05/05/2025

ने Aruna
the Uttar

Pradesh state belongs to the Kurmi Community which is recognized as a backward class under the Government Of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10th Sept. 1993, published in the Gazette of India Extra Ordinary Part-I Section-I Dated 13th Sept. 1993 and onwards till date.

This is also to certify that he/she does not belongs to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the schedule to the Government Of India, Department of Personnel & Training O.M.No. 36012/22/93 Estt(SCT) dated 08-09-93 or the latest notification of the Government of India,which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004 and further modified vide OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14/10/2008 or the latest notification of the Government of India.



जारी कर्ता केन्द्र: सूर्य चन्द्र, वयम जन सेवा केंद्र
पद: सूर्य चन्द्र, केन्द्र प्रभारी
स्थान :
Nadihar, मरिहान, नदीहार, राजगढ़, मरिहान
दिनांक: 12/05/2025
हस्ताक्षर एवं मुहर

Asheesh
Kumar
Pandey

Digitally Signed by
Asheesh Kumar Pandey
O=Personal, S=Uttar
Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
मरिहान, मिर्जापुर
दिनांक: 05/05/2025

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

Government of INDIA

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Incorrect EWS Certificate

Certificate No. 324

Date: 24-4-25

VALID FOR THE YEAR 2025-26

This is to certify that Shri/Smt./Kumari [redacted] [redacted] hter/wife of [redacted] [redacted] lge/Street [redacted] [redacted] Territory [redacted] whose photograph is attested below belongs to Economically weaker Section [redacted] whose gross annual income* of his/her 'family'*** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year 2024-25 His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari [redacted] belongs to the [redacted] caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office

Name

Designation

Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Correct EWS Certificate

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम तरेवागंज

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 547

दिनांक 03/05/2025

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी [redacted]

पुत्र/पुत्री/पुत्री

पोस्ट ऑफिस

तहसील

पिन कोड

कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- 1. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 - III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी [redacted] के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में आयस्वीकृत नहीं हैं।

हस्ताक्षर [redacted] (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम [redacted]

पदनाम [redacted]

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।